सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, आगरा।

Phone No: 0562-2260353, 2463880 Fax No: 0562-2260965
Website: www.snmcagra.in E-Mail: deansnmc@yahoo.in

LIVE TO SERVE

संख्याः ई0सी0–1/विज्ञप्ति/2020/173 दिनांक : 07/10/2020

विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ के शासनादेश संख्या–4661/71–1–08–जी–63/2008, दिनांक 15.12.2008 एवं उक्त शासनादेश के कम में समय–समय पर पारित अन्य संविदा शासनादेशों एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र संख्या–एम0ई0–2/2015/1916, दिनांक 21.09.2015 एवं इस कार्यालय के नोटिस संख्या–विज्ञप्ति/ई0सी0–1/2019/353, दिनांक 21.12.2019 के द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के कम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यो, सह–आचार्यो तथा सहायक आचार्यो के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु साक्षात्कार (Walk-in-Interview) **दिनांक 13.10.2020 (मंगलवार)** को शैक्षिणिक ब्लॉक (एस0पी0एम0 विभाग), एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के एल0टी0–3 में प्रातः 11 बजे से सायं 01 बजे के मध्य सम्पन्न होगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय Medical Council of India, Minimum Qualification for Teachers as per Medical Institutions Regulations, 1998 के मानको के अनुसार अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व–प्रमाणित) छायाप्रतियों के 01 सेट बायोडाटा एवं 01 पासपोर्ट फोटों सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों। इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा। रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है तथा पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है–

Sr. No.	Department	Professor				Associate Professor				Assistant Professor			
		GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS	GEN	OBC	SC	EWS
1.	Orthopaedics	-	1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ophthalmology	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3.	Emergency Medicine	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4.	Anatomy	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
5.	Anaesthesiology	-	-	1**	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6.	Community Medicine (SPM)	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
7.	Cardiology	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
8.	Cardio-Vascular & Thoracic Surgery	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9.	General Medicine	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
10.	General Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
11.	Transfusion Medicine	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12.	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
13.	Neuro Surgery	-	1***	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Paediatrics	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	-	-
15.	Physiology	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16.	Forensic Medicine	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17.	Biochemistry	-	-	-	-	-	-	-	-	1****	-	-	-
18.	Microbiology	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
19.	Radio-Diagnosis	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
20.	Radio-Therapy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
21.	Psychiatry	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	Total	**03**	**04**	**03**	**00**	**08**	**11**	**07**	**04**	**02**	**07**	**04**	**00**

* अस्थि रोग विशिष्टता में आचार्य (अन्य पिछडा वर्ग) श्रेणी का पद ट्रोमा सेन्टर में सृजित है।
** एनेस्थिसियोलॉजी विशिष्टता में आचार्य (अनुसूंचित) श्रेणी का पद ट्रोमा सेन्टर में सृजित है।
*** न्यूरो सर्जरी विशिष्टता में आचार्य (अन्य पिछडा वर्ग) श्रेणी का पद ट्रोमा सेन्टर में सृजित है।
**** बायोकैमिस्ट्री विशिष्टता में सहायक आचार्य (अनारक्षित) श्रेणी के पद हेतु एम0डी0, बायोकैमिस्ट्री को प्राथमिकता दी जायेगी।

Principal
S. N. Medical College, AGRA

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है:–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश संख्या–104/2019/5044(1)271–1–2019–जी–63/2008, दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन (आचार्यो रू0 135000, सह–आचार्यो रू0 120000 एवं सहायक आचार्यो रू0 90000) प्रतिमाह होगा। वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा।

2. शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव/आयु सीमा अध्यापकों की सेवा नियमावली (पंचम संशोधन) नियमावली 2005, 2018 एवं 2020 में निहित के अनुसार होगी तथा चिकित्सा शिक्षकों के सेवानिवृत्तिक पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।

3. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें एवं प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्व चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा डयूटी उपलब्ध रहना होगा।

4. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है तथा चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। समय–समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को करार के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।

6. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नही होगा।

7. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि **"उनके विरूद्ध माननीय न्यायलय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी"**।

8. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।

प्रधानाचार्य,
एस0एन0 मेडिकल कालेज,
आगरा।

संख्या एव दिनांक तद्

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर/प्रयागराज/झॉसी/गोरखपुर/मेरठ/कन्नौज/अम्बेडकरनगर/आजमगढ/सहारनपुर/बंदॉयू/बॉदा/जालौन।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।
5. एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नोटिस बोर्ड/सूचना पट हेतु।

प्रधानाचार्य,
एस0एन0 मेडिकल कालेज,
आगरा।